गोरखनाथ (भा0प्र0से0)
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
फोन नं0- 06454-243199 (O)
241899 (F)
ईमेल आई0डी0-divcom-purnea-bih@nic.in

पत्रांक.....

दिनांक.....

प्रेषक,

आयुक्त,
पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक,
पूर्णियॉ/कटिहार/अररिया/किशनगंज।

विषयः– **विभिन्न काराओं के निरीक्षण के दौरान पायी गयी त्रुटियों का सम्यक निराकरण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि जिले में विधि–व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु जिले में स्थापित कारागृहों के प्रशासन पर भी नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है। विभिन्न काराओं के निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से जिले में स्थापित काराओं का प्रत्येक वर्ष कम–से–कम एक बार संयुक्त रूप से सुरक्षा ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ स्थानों पर सुरक्षा ऑडिट की भी गयी है पर वहॉ सुरक्षा ऑडिट के पश्चात् लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु सम्यक प्रयास जिला पदाधिकारी या कारा अधीक्षक के स्तर से नहीं की जा रही है।

2. कारा के अंदर बंदियों के हितों को ध्यान रखने हेतु **बंदी दरबार** लगाये जाने का प्रावधान है पर इस संबंध में यह पाया गया कि कारा अधीक्षक द्वारा कारा के अंदर बंदी दरबार लगाये जाते हैं परन्तु जिला पदाधिकारियों द्वारा बंदी दरबार नहीं लगाये जाते हैं, जबकि जिला पदाधिकारी द्वारा भी समय–समय पर बंदी दरबार लगाये जाने का प्रावधान है। इसके साथ–साथ बंदियों की शिकायतों को सुनने हेतु सभी कारा में **जिला पदाधिकारी को संबोधित शिकायत पेटिका** लगायी गयी है, जिसे पूर्ण रूप से जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में रहना है। जिसे जिला पदाधिकारी द्वारा स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उसे समय–समय पर अपने नियंत्रण में खुलवाकर बंदियों से प्राप्त शिकायतों का सम्यक निराकरण करना है। पर यह कार्रवाई किसी भी काराओं में नहीं हो पा रही है। बंदियों को दिये जाने वाले भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु भोजनशाला के साथ–साथ उसके भंडार गृह की भी यदा–कदा जॉच तथा उसका मिलान स्टॉक/भंडार पंजी से किया जाना आवश्यक है।

3. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में कारा प्रशासन में सम्यक सुधार हेतु निम्नवत् निदेश दिये जाते हैं:–

(i) **जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से अपने नियंत्रणाधीन जिले में अवस्थित कारा (मंडल कारा/उप कारा) को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा ऑडिट वर्ष में कम–से–कम एक बार अवश्य करेंगे एवं सुरक्षा के मामले में पाई गई त्रुटियों का निराकरण करेंगे।**

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी अपने जिले स्थित काराओं में समय–समय पर स्वयं बंदी दरबार लगायेंगे एवं बंदियों की समस्या को सुनकर नियमानुसार उसका निराकरण भी करेंगे।

(iii) काराओं के अंदर रखे गये जिला पदाधिकारी को संबोधित शिकायत पेटिका खोले जाने पर जिला पदाधिकारी अपना पूर्ण नियंत्रण रखेंगे तथा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उसे खुलवा कर उसमें प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार निस्तार करेंगे।

(iv) बंदियों के भोजन आदि की मात्रा एवं गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु काराओं में स्थित भोजनशालाओं के साथ–साथ भंडार पंजी से भंडार स्थित सामग्रियों की मात्रा एवं गुणवत्ता का मिलान अपने द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा करायेंगे तथा चिकित्सालयों में आपूर्ति किये गये दवाओं का मिलान भंडार पंजी से करा लेंगे।

(v) अपने जिले में स्थित काराओं में संसीमित बंदियों की समय–समय पर तलाशी अपनी उपस्थिति में या प्राधिकृत प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में करायेंगे तथा शस्त्रागार में रखे गये शस्त्रों एवं कारतुसों का भी भंडार पंजी से मिलान करा लेंगे।

4. अनुरोध है कि उपर्युक्त दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं कृत कार्रवाई से प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् अवगत कराने की कृपा की जाय।

आयुक्त
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 184/सी0, दिनांकः– 01/08/2022

प्रतिलिपिः–कारा अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार/अररिया/किशनगंज, कारा अधीक्षक, केंद्रीय कारा, पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णियॉ क्षेत्र, पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/8/22
आयुक्त
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।